कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक / तक. / 774 2016 / बिलासपुर / दिनांक 7-5-16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
रायपुर छत्तीसगढ़

विषय : **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 of 28.388 Ha of Forest Land to Construct Railway Line for Spur of East Rail Corridor from Kharsia to Gurda & Ghargoda to Gare Pelm a distance of 38(10+28)km (approx.) in Raigarh District to be used for freight & passanger service-Regarding.**

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्र. / विविध / 873 दिनांक 07.04.2016
3. वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का पत्र क्र. / तक. / 528 दिनांक 05.05.2016

––:0:––

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि प्रकरण में बिन्दू क्र. 01 से 11 का निराकरण कर वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के द्वारा प्रेषित किया गया है विवरण निम्नानुसार है –

1	आवेदन कर्ता मुख्य परिचालन अधिकारी रेल कॉरीडोर रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में कुल 28.388 हे. हेतु प्रकरण पंजीकृत कराया गया था परन्तु आनलाईन फार्म ए के पार्ट 2 को जॉच करने पर कुल क्षेत्र 26.181 हे. दर्शित है। क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है तो फर्म ए के पार्ट 1 में भी आवेदक संस्थान से सुधार कराया जाना चाहिए था। क्षेत्र में परिवर्तन का स्पष्अ उल्लेख करें एवं आनलाईन फार्म ए के पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में अपलोड आकडों एवं दस्तावेजो में सुधार करावें।	आवेदनकर्ता मुख्य परिचालन अधिकारी रेल कॉरीडोर रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में कुल 28.388 हे. हेतु प्रकरण पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 1.868 हे. राजस्व भूमि सम्मिलित हो गया था। जिसे अलग कर आवेदक संस्थान द्वारा 26.181 हे. का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आनलाईन फार्म के पार्ट "2" में 26.181 दर्शित किया गया था। परन्तु डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपार्ट के आधार पर 26.520 हे. आने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा आनलाईन फार्म के पार्ट "1" में स्पष्टीकरण अपलोड किया गया है। जिसके आधार पर पुनः आनलाईन फार्म के पार्ट "2" को सुधारा गया है। (आवेदक संस्थान का स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न है)
2	प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों जिनका विदोहन किया जाना है परियोजना में 4314 वृक्ष बताया गया है जबकि आनलाईन में 1097 वृक्ष दर्शित है। स्पष्ट करें। उदाहरण के तौर पर आनलाईन प्रकरण क्र. FP/CG/TRANS/9820/2015 अनुसार आनलाईन एवं मूल प्रस्ताव में होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की संख्या 4314 है, जिसमें से 3697 वृक्षों का विवरण दर्शित है ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के निर्धारित प्रपत्र में वृक्षो की गालाईवार विवरण में 21–30 गोलाईवर्ग की कॉलम पृथक से नही दिया गया हैं अतः 21–30 गोलाईवर्ग के 617 वृक्षों का विवरण पृथक से संलग्न किया गया है।
3	कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रदाय वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की मूलप्रति मूल प्रस्ताव में संलग्न नहीं है, साथ में जो पूर्व में ग्राम सभा हुई है उसकी ग्राम सभाओं	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की मूल प्रति कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

	का सत्यापित कार्यवाही विवरण संलग्न करें। नई ग्राम सभा नही करानी है।	छ.ग., रायपुर के कार्यालय को भेजा जा चुका है। इस कार्या. को प्रतिलिपि के तौर पर केवल छायाप्रति प्राप्त हुई थी। (छायाप्रति संलग्न है)
4.	आनलाईन प्रकरण की टाईम लाईन की हस्ताक्षरित मूल प्रति मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडल कार्यालय द्वारा संलग्न नहीं है।	आनलाईन प्रकरण की टाईम लाईन की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न है।
5.	वन मंडल द्वारा आनलाईन ए के पार्ट 2 की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न नहीं है।	ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट "2" की मूल हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
6.	इस वन क्षेत्र की वन्य प्राणी योजना किसमें समावेशित है? अर्थात ईस्ट कारीडोर में अथवा ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर में स्पष्ट करें।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस वनक्षेत्र की वन्यप्राणी योजना ईस्ट रेल कॉरीडोर में समायोजित है।
7.	प्रत्याशा मूल्य की राशि निर्धारित प्रपत्र में गणना कर प्रेषित करें।	प्रत्याशा मूल्य की राशि गणना कर निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।
8.	वृक्षों की प्रजाति Botanical Name की सूची संलग्न करें।	वृक्षों की प्रजाति Biotonical Name की सूची संलग्न है।
9.	प्रस्तावित क्षेत्र के वन्य प्राणियों के Zoological Name की सूची संलग्न करें।	प्रस्तावित क्षेत्र के वन्यप्राणियों Zoological Name की सूची संलग्न है।
10.	पृष्ठ क्र.–11 एवं पृष्ठ क्र. 128 (प्रपत्र–3) में कक्ष क्र.मांक एवं आवेदित क्षेत्र में भिन्नता है।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पृ. क्र. 11 एवं पृ.क्र. 128 (प्रपत्र–3) में कक्ष क्रमांक एवं आवेदित क्षेत्र में भिन्नता टंकण त्रुटिवश हो गया था, जिसका सुधार प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
11.	त्रुटियों को सुधार कर टाईम लाईन मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत करें। अपूर्ण प्रस्ताव किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।	त्रुटियों को सुधार कर टाईम लाईन मय हस्ताक्षर संलग्न है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्रं./तक./ 775 2016/बिलासपुर/दिनांक 7-5-16

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ0ग0रायपुर।

2. मुख्य कार्यापालन अधिकारी छ.ग. ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी. कार्मशीयल कॉम्पलेक्स, महादेवघाट रोड, रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर